

प्रेषक,

महानिदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
(विज्ञापन प्रभाग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: प्रशि0प्रको0/ए0एन0एम0/प्रशिक्षण-2023/1313

लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2023

विषय: सहायक नर्सिंग एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण वर्ष-2023 हेतु महिला अभ्यर्थियों के ऑन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-443/पॉच-10-2021-एफ-116/15, दिनांक 28.04.2022 उत्तर प्रदेश सहायक नर्सिंग एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश-2022 के अनुपालन में सहायक नर्सिंग एण्ड मिडवाइफ प्रशिक्षण वर्ष-2023 के लिये चयन मेरिट के आधार पर किये जाने हेतु महिला अभ्यर्थियों के ऑन-लाइन आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2023 से 31.07.2023 तक आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रदेश के व्यापक प्रचार प्रसार वाले तीन प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों एवं दो प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न विज्ञापन प्रदेश के तीन प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों एवं दो प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों में जनहित में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।


संलग्नक : विज्ञप्ति की 05-05 प्रतियां हिन्दी/अंग्रेजी सी0डी0 सहित।

भवदीया,


(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

पत्रांक:-प्रशि0प्रको0/ए0एन0एम0/प्रशिक्षण-2023/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को उपरोक्त पत्र की विज्ञप्ति की सूचना सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(डा0 दीपा त्यागी)
महानिदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय महानिदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :- प्रशि0 / प्रको0 / ए0एन0एम0 / प्रशिक्षण-2023 / 1315

लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2023

—: विज्ञापन :-

वर्ष-2023 में सहायक नर्सज एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) के 02 वर्षीय प्रशिक्षण के लिये प्रदेश के 36 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु 1800 सीटों पर महिला अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट :- <https://www.dgmhup.gov.in> पोर्टल पर दिनांक 01.07.2023 से 31.07.2023 तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

शैक्षिक अर्हतायें :-	<ul style="list-style-type: none"> माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में, अनारक्षित श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी के 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे। आशा/संगिनी अभ्यर्थी जो उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखती हों, को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत, संतोषजनक कार्य एवं अनुभव का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
आवेदन शुल्क :-	<ul style="list-style-type: none"> सामान्य वर्ग के लिये रु0-200/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये रु0-100/- निर्धारित है। आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान आनलाइन किया जायेगा।
आरक्षण :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80 प्रतिशत ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती हों। प्रशिक्षण के कुल क्षमता का 20 प्रतिशत ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्त्री/आशा संगनियों जिन्होंने कम से कम 05 वर्ष आशा कार्यकर्त्री/आशा संगनियों के रूप में विभाग/एन0एच0एम0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में नियमित रूप से संतोषजनक कार्य किया हो, हेतु आरक्षित होगा। लेकिन, यदि 20 प्रतिशत के अंतर्गत पात्र आशा कार्यकर्त्री/संगिनी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है, तो रिक्त सीट पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थियों से चयन किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिये आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश में निहित प्राविधानों/शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
आयु सीमा :-	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण के लिये ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु विगत वर्ष 31 दिसम्बर, 2022 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग में शासनादेशानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
चयन :-	अभ्यर्थी के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा (10+2) में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची (मैरिट) पर उत्तर प्रदेश सहायक नर्सज एण्ड मिडवाइफ (ए0एन0एम0) प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश-2022, दिनांक 28.04.2022 के आधार पर किया जायेगा।

ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संबंधी समस्त अनुदेश एवं निर्देशों के साथ विस्तृत जानकारियां विभागीय वेबसाइट :-

<https://www.dgmhup.gov.in> पर उपलब्ध होगा।



(डा0 दीपा त्यागी)

महानिदेशक (प्रशिक्षण)


चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

:- Advertisement :-

Online applications for female candidates are invited for 2 years training course of Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) against the available **1800** seats for the year 2023 at **36** Govt. ANM training centers w.e.f. 01-07-2023 to 31-07-2023 on departmental website <https://www.dgmhup.gov.in>

Educational Qualification	<ul style="list-style-type: none">● Female Candidate should have passed Intermediate (10+2) examinations, by U.P Board or equivalent.● Female Candidates (General/OBC/EWS) should have minimum aggregate of 45% marks and female candidates (SC/ST) should have minimum aggregate of 40% marks in intermediate (10+2) Examination by U.P. Board or equivalent.● ASHA Karyakatri / ASHA Sangini candidates should have above mentioned minimum educational eligibility along with 5 years satisfactory work experience certificate signed by Chief Medical Officer.
Application Fee	For General Category Rs. 200 and for SC/ST & OBC category Rs. 100 is fixed. Fee to be paid online, while applying for application.
Reservation	1- 80% seats are reserved for female candidates who have minimum educational qualification as mentioned above. 2- 20% seats will be reserved for ASHA Karyakatri / ASHA Sangini candidates who are serving for last 5 years in Department / NHM, Uttar Pradesh. But, if mentioned 20% seats are not filled by above mentioned eligible candidates then remaining seats will be filled by other eligible applicants. Reservation in training for applicants (SC/ST/OBC) and others will be applied according to the Government Orders. 3- Applicants from outside the state of Uttar Pradesh will not be given the benefit of reservation.
Age Limit	As on 31.12.2022 age of candidates must be 17 years to 35 years . But age limit for SC/ST/OBC will be relaxed according to the Government Orders.
Selection	Merit will be prepared on the basis of average of the % marks obtained in High School and Intermediate examination according to Uttar Pradesh Sahayak Nurses and Midwife (ANM) Prashikshan Viniyaman Anudesh 2022 Dt. 28.04.2022

All the concern Government Orders and concern Instructions and detailed information will be available at departmental website <https://www.dgmhup.gov.in>


(Dr. Deepa Tyagi)
Director General (Training),
Medical Health & Family Welfare,
Uttar Pradesh, Lucknow